तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 173/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी ओमाराम विश्नोई पुत्र हणूताराम, पता जम्भेश्वर नगर, बागड़ों की ढाणी, कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.08.20 में उसके द्वारा (1) खसरा नम्बर 540/14 के आवंटन से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपीयां उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की [illegible] तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावें, अथवा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाये। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2020.12.16 16:02:39 IST
Reason: SelfAttested